राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0 / 1412 / 2023 दिनांकः—10 मई, 2023

सेवा में,

श्री हुन्डी लाल, अध्यक्ष,
एच0एल0 डिग्री कालेज, प्रबन्ध समिति,
स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी,
श्री चेतराम सिंह शिक्षा समिति,
ग्राम—नगला बातुल, पोस्ट—नरूपुरा,
जनपद—अलीगढ।

विषयः—एच0एल0 डिग्री कालेज, बरौठा अलीगढ के अन्यत्र संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

एच0एच0 डिग्री कालेज, बरौठा अलीगढ को बी0ए0 एवं बी0एससी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत पत्र सं0—1686 / सत्तर—2—2005—2(104) / 2005 दिनांक 16 जुलाई, 2005 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई थी अनापत्ति आदेश में अंकित किया गया था कि पाठ्यक्रमों का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू—अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम हरदुआगंज, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ के खसरा सं0—1249 के रकबा 2.204 है0 भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, अलीगढ़ से जॉच कराई गई। जिलाधिकारी से प्राप्त जॉच आख्या दिनांक 20.04.2023 में अंकित किया गया है कि एच0एच0 डिग्री कालेज, बरौठा अलीगढ में संचालित न होकर ग्राम मोरथल, परगना मोरथल, तहसील कोल, जनपद अलीगढ के गाटा सं0—26 / 0.052 है0 व 28 / 0.127 है0 व 29 / 0.288 है व 30 / 0.058 है0 व 31 / 0.023 है0 व 33 / 0.254 है0 कुल 6 किता रकवा 0.802 है0 में से रकवा 0.5727 है0 में बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा शासन के पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2005 में अंकित दिशा निर्देशों का पालन नही किया गया है।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त के आधार पर एच0एच0 डिग्री कालेज, बरौठा अलीगढ को दी गई अनापत्ति एवं सम्बद्धता क्यों न समाप्त कर दी जाये इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 17.05.2023 तक विश्वविद्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. प्रभारी, वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि महाविद्यालय के लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।।

10.05.23

सहायक कुलसचिव

Vletter

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 / 1413 / 2023   दिनांकः– 10 मई, 2023

सेवा में,

श्रीमती पुष्पा देवी, अध्यक्ष,
एच0एल0 डिग्री कालेज प्रबन्ध समिति,
जनता आदर्श शिक्षा समिति,
ग्राम–नगला बातुल, पोस्ट–नरूपुरा,
जनपद–अलीगढ।

विषयः–एच0एल0 डिग्री कालेज, हरदुआगंज अलीगढ के अन्यत्र संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

एच0एच0 डिग्री कालेज, हरदुआगंज, जनपद अलीगढ को उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत पत्र सं0–अना–238 / सत्तर–2–2008–2(485) / 2008 दिनांक 28 अगस्त, 2008 द्वारा बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की गई थी। सन्दर्भित अनापत्ति आदेश में अंकित किया गया था कि पाठ्यक्रमों का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम हरदुआगंज, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ के खसरा सं0 1249 के रकबा 2.204 है0 भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, अलीगढ़ से जॉच कराई गई। जिलाधिकारी से प्राप्त जॉच आख्या दिनांक 20.04.2023 में अंकित किया गया है कि एच0एच0 डिग्री कालेज, बरौठा अलीगढ में संचालित न होकर ग्राम मोरथल, परगना मोरथल, तहसील कोल, जनपद अलीगढ के गाटा सं0–26 / 0.052 है0 व 28 / 0.127 है0 व 29 / 0.288 है व 30 / 0.058 है0 व 31 / 0.023 है0 व 33 / 0.254 है0 कुल 6 किता रकवा 0.802 है0 में से रकवा 0.5727 है0 में बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा शासन के पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2005 में अंकित दिशा निर्देशों का पालन नही किया गया है।

मा0 कुलपति जी के आदेशनुसार उपरोक्त के आधार पर एच0एच0 डिग्री कालेज, बरौठा अलीगढ को दी गई अनापत्ति एवं सम्बद्धता क्यों न समाप्त कर दी जाये इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 17.05.2023 तक विश्वविद्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. प्रभारी, वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि महाविद्यालय के लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

10.05.23
सहायक कुलसचिव

Vletter